न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 300/2025

श्री राकेश कुमार, निवासी प्लाट नम्बर 16, ग्रीन सिटी, नियर पूनियां कालोनी, सेकेण्ड सर्किल, चूरू पिन कोड 331001 मो0न0 9460080959

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.08.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.07.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 300/2025 पर दिनांक 22.07.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/3590–91 दिनांक 22.07.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर ने पत्रांक आरटीआई/2025/1367 दिनांक 08.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के ऑनलाईन आवेदन के तहत इस कार्यालय को लगाई गई थी। उक्त आर0टी0आई0 इस कार्यालय से संबंधित नही होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई/2025/1280 दिनांक 11.06.2025 को तहसीलदार मलसीसर एवं विकास अधिकारी अलसीसर को उक्त आर0टी0आई0 आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर दिया गया था एवं उक्त अन्तरण की सूचना आवेदक को भिजवाई जा चुकी है। तहसीलदार मलसीसर के द्वारा कमांक आर0टी0आई0/2025/538 दिनांक 08.07.2025 से संबंधित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर पत्रांक आरटीआई/2025/1367 दिनांक 08.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के ऑनलाईन आवेदन के तहत उनके कार्यालय को लगाई गई थी। उक्त आर0टी0आई0 उनके कार्यालय से संबंधित नही होने के कारण उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई/2025/1280 दिनांक 11.06.2025 को तहसीलदार मलसीसर एवं विकास अधिकारी अलसीसर को उक्त आर0टी0आई0 आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर दिया गया था एवं उक्त अन्तरण की सूचना आवेदक को भिजवाई जा चुकी है। तहसीलदार मलसीसर के द्वारा कमांक आर0टी0आई0/2025/538 दिनांक 08.07.2025 से संबंधित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि अपीलार्थी को तहसीलदार मलसीसर द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं विकास अधिकारी, अलसीसर द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति अलसीसर को आदेश दिये जाते है कि वे वांछित सूचना 7 दिवस मे अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनू